शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
एवं संबद्ध चिकित्सालय,स्वशासी संस्था,विदिशा

क्रमांक/578-83/स्था/शा.स्व.चिकि.महा./ 2018 विदिशा दि. :- 23/6/18

//नोटिस//

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा, में स्वशासी समिति की पूर्व से निर्धारित चयन प्रकिया के आधार पर 150 एम.बी.बी.एस प्रवेश हेतु एम.सी.आई. **Recognition letter** के मापदण्ड़ अनुसार सीनियर रेसिडेन्ट एवं जूनियर रेसिडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि **(Tenure)** से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैः–

सीनियर रेसीडेंट SR (निश्चित वेतन रू. 49,000/–प्रतिमाह)

S.No.	Subject	ST	SC	OBC	Unreserved	Total
1.	Medicine	01	01	01	1+1 (F)=2	05
2.	Pediatric	01	---	---	01	02
3.	T.B. Chest	01	---	---	01	02
4.	Dermatology	01	---	---	01	02
5.	Psychiatry	00	00	00	01	01
6.	Surgery	01	01	01	1+1 (F)=2	05
7.	Orthopedics	01	---	00	01	02
8.	Anesthesia	01	---	00	01	02
9.	Obst.& Gynecology	01	---	00	01	02
10.	Radio diagnosis	01	---	00	01	02
	Total	ST-9	SC-2	OBC-02	10+2(F)=12	Total- 25

जूनियर रेसीडेंट JR (निश्चित वेतन रू. 36,000/–प्रतिमाह)

S.N.	Subject	ST	SC	OBC	Unreserved	Total
1.	Medicine	---	----	---	01	01
2.	Anesthesia	---	---	---	02	02
3.	Obst. & Gynee	01	01	----	01	03
4.	Casualty	01	01	01	1+1 (F)=2	05
	Total	**ST- 02**	**SC - 02**	**OBC- 01**	**UR- 06**	**Total -11**

नोटः– आवेदन का प्रारूप शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की बेवसाइट **www.gmcbhopal.net** से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों की पूर्ती हेतु वाक–इन इन्टव्यूह पदों की पूर्ती होने तक प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को, सीनियर रेसीडेन्ट एवं जूनियर रेसीडेन्ट का दोपहर 12:00 बजे से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में आवेदन पत्र जमा किये जाकर प्रमाण पत्रों की स्कूटनी का कार्य आरम्भ होगा तथा उसी दिन साक्षात्कार आयोजित किये जायेगें। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

आयोजित किये जायेगें। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश शासन के आदेश कमांक एफ–4–7/2010/1/55 दिनांक 25/8/2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बाण्ड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जायेगा कि वे बाण्ड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवायें देगें। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में ग्रामीण /अधिसूचित क्षैत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्तें लागू हो जायेगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।
अवधि :– उक्त सभी पदों हेतु प्रथम नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी, जिसका अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष हो सकता है। नियमानुसार 01 वर्ष पूर्ण होने पर दो दिन का अंतराल पश्चात अवधि में वृद्धि की जावेगी साथ ही विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्याकंन एवं वर्क रिपोर्ट संतोषजनक पाये जाने पर वृद्धि की जावेगी ।

आरक्षित वर्ग के चिकित्सक उपलब्ध नहीं होनें पर सीटें अ.ज.जा.(S.T.)/अ.जा.(S.C.)/अ.पि.व.(O.B.C.) एवं अनारक्षित (UR) श्रेणी के कम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगीं।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध
चिकित्सालय,स्वशासी संस्था,विदिशा

वॉक–इन–इन्टरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें

नोट :–

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
2. आवश्यकतानुसार पदों की रिक्तियों की संख्या मे कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्त पदों की संख्या की स्थिति समय समय पर वेबसाइड पर उपलब्ध कराई जावेगी।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित हैं।
4. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं, तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के कम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिति में रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।

शर्तें :– यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी।

1. **अवधि** :– सीनियर रेसीडेन्ट की सेवा–अवधि **(Tenure)** 3 वर्ष की होगी। इनकी प्रथम 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01–01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुये अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जायेगी।
2. **नियुक्ति का तरीका** :–योग्य अभ्यार्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. सभी प्रोफेशनल युनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा । नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. **शैक्षणिक योग्यता :– सीनियर रेसीडेन्ट हेतु**– संबधित विषय में एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस. जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले 5 वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया हैं, वे ही इस पद के लिये पात्र होगें। सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

जूनियर रेसीडेन्ट हेतु– जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले 3 वर्ष के अन्दर एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है, वे ही इस पद के लिए पात्र होगें। जूनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

4. यात्रा भत्ता :– साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तें :–

1. जिन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, तथा सप्ताह में 01 दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्टस से संबधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अतिंम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाय अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत् है, उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य मेडिकल काउंसिल अथवा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन करना अनिवार्य होगा।
8. जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग जिसमें आकस्मिक चिकित्सा विभाग भी सम्मिलित है, में पदस्थ किया जा सकता है।
9. सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकता अनुसार अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
10. साक्षात्कार में सम्मिलित होन वाले चिकित्सकों को स्कूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाडे की सूची में नहीं है, एवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है।
11. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अधिकतम आयु उम्र सीमा 40 वर्ष होगी।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं
संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था, विदिशा

पत्र कमांक/ 578-83 /स्था./2018 विदिशा दिनांकः–23/6/18.

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागायुक्त, भोपाल एवं अध्यक्ष स्वशासी संस्था विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

Scanned by CamScanner

4. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है, कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस चस्पा करवाने का कष्ट करें।
5. समस्त विभागाध्यक्ष जी.एम.सी. भोपाल की ओर सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करवाने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, हॉस्टल ब्लॉक ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध
चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, विदिशा

Scanned by CamScanner